

क्रमांक:- प.17(11)परि/2019

आदेश

जयपुर, दिनांक:- 12/2/2020

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के माह दिसम्बर, 2019 में उपलब्ध कराई गई निःशुल्क एवं रियायती यात्रा के वास्तविक व्यय राशि के पुनर्भरण दावे की राशि रु. 1594.06 लाख (अक्षरे रूपये पन्द्रह करोड़ चौरानवें लाख छः हजार मात्र) निम्न बजट मद से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के निजी निक्षेप खाते में अन्तरित करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

मांग संख्या-12	बजट मद	राशि (लाख रूपये में)
	3055 -सड़क परिवहन 00 190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता (12)-राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में मुफ्त/रियायती यात्राओं की राशि का पुनर्भरण [01] -परिवहन विभाग के माध्यम से 12 - सहायतार्थ अनुदान(गैर संवेतन) (राज्य निधि)	1594.06

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-2) विभाग की आई.डी.संख्या 102000809 दिनांक 07.02.2020 में प्रदत्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पी.डी.पारीक)

उप शासन सचिव

जयपुर, दिनांक:- 12/2/2020

क्रमांक:- प.17(11)परि/2019

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री महोदय, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त परिवहन, परिवहन विभाग, जयपुर।
5. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त(व्यय-2) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, परिवहन विभाग मुख्यालय।
8. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर भुगतान करने से पूर्व पुनर्भरण योग्य क्लेम के दावे की राशि की जांच/प्रमाणीकरण अपने स्तर पर किया जाना सुनिश्चित करावें।
9. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, शासन सचिवालय उक्तानुसार राशि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर के पी.डी. खाते में हस्तान्तरित कराने का श्रम करें।
10. सहायक निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. कोषाधिकारी, सचिवालय कोष, जयपुर।
12. कम्प्यूटर सैल, परिवहन विभाग (जयपुर)
13. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव